मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 106 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ.सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर संभाग में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी दिसम्बर 20 में प्रथम सप्ताह में ही बंद होने से किसानों का भुगतान न हो,

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा में बैंक की स्थानीय शाखा में किसानों के साथ करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी किये जाने।,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधान सभा क्षेत्र अतंर्गत महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रांरभ किय जाने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की दिव्यांग बच्चों के परीक्षण उपरांत कृत्रिम अंगों का समय पर वितरण न किये जाने,

(5) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की सौंसर क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों की कमी होने,

(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की गाडगील सागर बांध से वर्षाकाल में छोड़े जाने वाले पानी से भराव के कारण फसलों का नष्ट होने,

(7) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर के प्रशासनिक शैक्षणिक भवनों का निर्माण एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की पद पूर्ति कराये जाने,

(8) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की पीपुल्स मेडीकल कॉलेज में कोरोना वेक्सीन के ट्रायल से आदिवासी युवक की मौत होने,

(9) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य की दमोह जबलपुर सड़क मार्ग में वन भूमि होने से सड़क का निर्माण कार्य न हो पाने तथा

(10) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की शासन की योजना अतंर्गत सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन बंद किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. बहिर्गमन

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेश्नल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा बढ़ती मंहगाई एवं पेट्रोल/डीजल के दाम कम करने को लेकर एप्रिन प्रदर्शित कर सदन से बहिर्गमन किया एवं कुछ समय पश्चात् नारेलगाते हुए अपने आसनों पर गये.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखे -

(क) मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020),
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020),
(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020),
(घ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020),
(ङ) मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2021),
(च) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021),
(छ) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021),
(ज) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021),
(झ) पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021),
(ञ) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021),
(ट) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021),
(ठ) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021),
(ड) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021),
(ढ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2021), तथा
(ण) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021).

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-19 पटल पर रखें.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने –
(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –
(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2018-19 खण्ड-I एवं II , तथा
(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2018-19, एवं
(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-
(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं
(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण तथा वक्तव्य
पटल पर रखे.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखे.

(5) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-19 पटल पर रखी.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2021 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
(1)	सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021(क्रमांक 1 सन् 2021)	1 घण्टा 30 मिनिट
(3)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)	30 मिनिट
(4)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021)	1 घण्टा 30 मिनिट
(5)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 4 सन् 2021)	30 मिनिट
(6)	मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधयेक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021)	15 मिनिट
(7)	मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021)	15 मिनिट
(8)	मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)	1 घण्टा
(9)	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)	15 मिनिट
(10)	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021)	15 मिनिट
(11)	पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन्2021)	15 मिनिट
(12)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021)	15 मिनिट
(13)	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)	1 घण्टा
(14)	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021)	1 घण्टा
(15)	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021)	15 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन शासकीय विधेयकों के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़ कर सुनाई गई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. सितम्बर, 2020 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 22.09.2020, 23.09.2020 एवं दिसम्बर, 2020 निरस्त सत्र की बैठकें दिनांक 28, 29, एवं 30 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 एवं 6 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने सितम्बर, 2020 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 22.09.2020, 23.09.2020 एवं दिसम्बर, 2020 निरस्त सत्र की बैठकें दिनांक 28, 29, एवं 30 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 एवं 6 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 8 विधेयकों को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2020
2.	मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2020
3.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2020
4.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2020
5.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2020
6.	मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2020
7.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2020
8.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2020

10. ध्यानाकर्षण

(1) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर जिले के कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य ने चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सतना)
(3) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(4) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-सिंगरौली)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(7) श्री बैजनाथ कुशवाहा (जिला-मुरैना)
(8) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(9) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(11) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)

(12) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(13) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(14) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(15) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(16) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(18) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(19) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(20) श्री जालम सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)

12. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 55-दमोह से निर्वाचित सदस्य, श्री राहुल सिंह ने विधान सभा के अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे दिनाँक 25 अक्टूबर, 2020 को स्वीकृत किया गया है.

13. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री लक्ष्मण सिंह
(2) श्रीमती झूमा सोलंकी
(3) श्री रामलाल मालवीय
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्रीमती नीना वर्मा
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021 सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

15. अध्यक्षीय व्यवस्था
राज्यपाल के अभिभाषण में बिना पढ़े पैराग्राफ्स को सम्मिलित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि – "राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीति वक्तव्य होता है. इसलिए शासन द्वारा ही इसका प्रारूप तैयार किया जाता है तथा अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए शासन ही जिम्मेवार होता है. जब सदन में राज्यपाल का अभिभाषण दिया जाता है, तब उसकी प्रति सभा के पटल पर मान्य कर सदस्यों को वितरित की जाती है. वर्तमान में भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां सदस्यों को इसी तरह वितरित की गई हैं. यही परम्परा पूर्व से रही है. वर्तमान अभिभाषण माननीय राज्यपाल के अनुमोदन से सदन में वितरित किया गया एवं विस्तार से पढ़ा गया. यदि कतिपय अंश पढ़ने से रह गये हैं, तो उन्हें भी पढ़ा हुआ माना जाकर माननीय सदस्यों द्वारा उसमें शामिल शासन की नीतियों के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए".

16. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 22 फरवरी, 2021 को माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 445 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री विपिन वानखेड़े	1
(2)	श्री संजय यादव	2
(3)	श्री विनय सक्सेना	3
(4)	डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ	4
(5)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	5
(6)	श्री पी.सी. शर्मा	6
(7)	श्री कुणाल चौधरी	7
(8)	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर	8
(9)	श्री कमलेश्वर पटेल	9
(10)	श्री लक्ष्मण सिंह	10
(11)	डॉ. गोविन्द सिंह	11
(12)	श्री बाला बच्चन	12
(13)	श्री बैजनाथ कुशवाह	13
(14)	श्री जितु पटवारी	14
(15)	श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी	15
(16)	श्री सुनील उईके	16
(17)	श्री पांचीलाल मेड़ा	17
(18)	श्री दिलीप सिंह गुर्जर	18
(19)	श्री प्रियव्रत सिंह	19
(20)	डॉ. हिरालाल अलावा	20
(21)	श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया	21
(22)	श्री सज्जन सिंह वर्मा	22
(23)	डॉ. सतीश सिकरवार	23
(24)	श्री बाबूलाल जण्डेल	24
(25)	डॉ. अशोक मर्सकोले	25
(26)	श्री नारायण सिंह पट्टा	26
(27)	श्री सुखदेव पांसे	27
(28)	श्री रामलाल मालवीय	28

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री कमलनाथ

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

17. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

श्री कमलनाथ (चर्चा जारी)

(अपराह्न 1.42 बजे से 3.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

18. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री बहादुर सिंह चौहान
(4) श्री लक्ष्मण सिंह
(5) श्री देवेन्द्र वर्मा

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री अशोक मर्सकोले
(7) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(8) डॉ. हिरालाल अलावा
(9) श्री शैलेन्द्र जैन
(10) श्री प्रियव्रत सिंह
(11) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(12) श्री पी.सी. शर्मा
(13) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(14) श्रीमती झूमा सोलंकी **(भाषण एवं चर्चा जारी)**

अपराह्न 5.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 (6 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 24 फरवरी, 2021.